राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –2060/2013/अजमेर

मंगलचन्द माली (मृतक) जरिए कायम मुकाम

1. श्रीमती किस्तुरी देवी पत्नी स्व. श्री मंगलचन्द जाति माली
2. श्री बाबूलाल पुत्र स्व. श्री मंगलचन्द जाति माली
3. श्रीमती सीता पत्नी शिव, पुत्री स्व. श्री मंगलचन्द जाति माली
4. श्रीमती संतोष पत्नी श्री महेन्द्र, स्व. श्री मंगलचन्द जाति माली
5. श्रीमती सुमन पत्नी श्री कमलेश, पुत्री स्व. श्री मंगलचन्द जाति माली
6. श्रीमती नीतू पत्नी श्री अशोक, पुत्री स्व. श्री मंगलचन्द जाति माली
7. कु. धनराज पुत्र स्व. श्री मंगलचन्द जाति माली
8. कु. विकास पुत्र स्व. श्री मंगलचन्द जाति माली जरिए श्रीमती किस्तुरी देवी माता जी (प्राकृतिक संरक्षक) समस्त निवासीगण–माली मौहल्ला छोटा, नया शहर, किशनगढ़ जिला–अजमेर **........प्रार्थीगण.**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, किशनगढ़, अजमेर (राज.)
2. श्री राधेकिशन पुत्र भंवरलाल जाति माली
3. श्रीमती रामकन्या पत्नी श्री राधेकिशन निवासी मालियों की बाडी किशनगगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर **............अप्रार्थीगण.**

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री के.जी. खत्री
अभिभाषक। **........प्रार्थीगण की ओर से.**

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। **..........अप्रार्थी सं.1 की ओर से**
अप्रार्थी सं. 2 से 3 के तामील के प्रक्रम में

दिनांक : 16.06.2017

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त अजमेर (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण सं. 197/2006 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2008 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा–65 के तहत् प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.03.2005 को मंलगचन्द की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी पेश की गयी है। उक्त निगरानी में प्रार्थी संख्या 1 के पति व शेष प्रार्थीगण के पिता मंगलचन्द द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मंदनगंज (गून्दोलाव तालाब में) तहसील किशनगढ़ में खसरा नम्बर 1245 रकबा 8 बिस्वा चाहिय ए.गै.म. का सम्पूर्ण बेचान विक्रय पत्र खरीद कर 1,60,000/– रूपये में उप पंजीयक किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर 1280/– रूपये मुद्रांक शुल्क व 160/– पंजीयन शुल्क जमा कराकर पुस्तक संख्या 01 पर जिल्द संख्या 766 में पृष्ठ संख्या 77 क्रम संख्या 2005000011 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 03.01.2005 को पक्षकारों को लौटा दिया गया। उप पंजीयक किशनगढ द्वारा मौका निरीक्षण ने अचल सम्पत्ति की मार्केट वैल्यु 16,37,856/– रूपये मानते हुए 1,31,028/– मुद्रांक कर व 16,378/– पंजीयन शुल्क मानते हुए 1,29,748/– रूपये मुद्रांक शुल्क तथा

16/06/17

लगातार........................2.

16,218/— कमी पंजीयन शुल्क कुल 1,45,966/— रूपये कमी राशि मानते हुए रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर को प्रस्तुत किया। कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर द्वारा दिनांक 06.05.2008 में उप पंजीयक के रेफरेन्स को स्वीकार करते हुए कमी राशि जमा करने के आदेश पारित किये। कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर के आदेश दिनांक 06.05.2008 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस भी तलब किया गया उसके पश्चात् भी वह उपस्थित नहीं हुए। जबकि प्रार्थीगण को कोई नोटिस तामील नहीं हुआ। जो नोटिस जारी किये गये वह मंगलचन्द माली को जारी किये गये थे। जिसकी मृत्यु रेफरेन्स पेश करने से पूर्व हो चुकी थी। विक्रेतागण को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नोटिस को तामील मानते हएु **साईक्लोस्टाईल** रूप Non Speeking एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णिय पारित करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी करके तामिल करवाया जाना अनिवार्य है, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक दृष्टांत **1990 आर.आर.डी. 503** में निर्णित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की सम्पूर्ण विवेचना व विश्लेषण करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया जाना चाहिये था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए साईक्लोस्टाईल रूप में आदेश पारित किया है। अतः कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त किया जाये और निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाये।

5 बहस के दौरान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए तथा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये, तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है और डी.एल.सी. के आधार पर निर्धारित दर से कम दर पर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क दिया गया है। ऐसे में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त होने योग्य है।

6 प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी को अधीनस्थ् न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश की जानकारी नहीं थी इसलिये प्रकरण पेश करने में विलम्ब हुआ। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलम्ब को क्षमा किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाये।

7. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व पक्षकारों को जरिए प्रकाशन सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया इसके उपरान्त भी पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों एवं प्रकरणों के बिन्दुओं को

16/06/17

लगातार.........................3.

ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक होने से इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है, अतः निर्णय को यथावत रखते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।

9. प्रार्थी निगरानीकर्ताओं की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से इनका निर्णय गुणावगुण पर करना श्रेयस्कर होगा। अतः उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

10. पत्रावली के साथ उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स के अनुसार सम्पति की मालियत निर्धारित कर इस पर देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति की राशि सृजित करते हुये निगरानी अधीन आदेश पारित किया गया है। इस आदेश में किस आधार पर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, यह अंकित नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में युक्तिसंगत आधार अंकित करते हुये अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। इस प्रकार युक्तिसंगत/विधिसम्मत आधार के आभाव में पारित किया गया आदेश को विधिसम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। प्रार्थी बावजूद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। किन्तु राजस्व को अपना मामला स्वयं साबित करना था। वह प्रतिपक्षी की किसी कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2008 में रेफरेंस को स्वीकार करने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होना रेफरेन्स को स्वीकार करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2008 द्वारा रेफरेंस के तथ्यों को स्वीकार किया है किन्तु रेफरेंस के आधारों की राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार न तो जांच की गई न ही अपने आदेश में रेफरेंस के आधारों के सम्बंध में तथ्यों की कोई विवेचना की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरांत ही उन्हें स्वीकार करने व न करने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करना चाहिए था। जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर

16/06/17

लगातार.........................4.

सम्बंधित न्यायालय अपना निर्णय पारित कर सकेगी कि अवर अधिकारी / न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत है अथवा नही किन्तु वर्तमान निगरानी प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया जिसे उचित नही कहा जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केता मंगलचन्द माली को नोटिस जारी किये गये थे जबकि केता मंगलचन्द की मृत्यु दिनांक 01.03.2005 को रेफरेन्स पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी। मंगलचन्द के विधिक प्रतिनिधियों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो रिकार्ड पर नहीं लिया गया और विक्रेतागण को भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में केता व विक्रेता को सुनवाई हेतु किसी प्रकार का विधिवत् नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **1996 आर.आर.डी. 503** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार केता व विक्रेता को विधिवत सुनवाई को अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2002 (1) आर.आर.टी. पेज 81** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की बाजार कीमत निर्धारित करने के लिये विकेता एवं केता दोनों को सुना जाना आवश्यक है। नैसर्गिक न्याय का भी यही सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित

16/06/17

लगातार.........................5.

करने से पूर्व सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। किन्तु उपरोक्त समस्त विवेचन से यह भली–भांति स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया क्रेता एवं अप्रार्थीगण/विक्रेतागण को आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.05.2008 पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की गयी है। अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के उक्त आपत्ति विधि सम्मत होने से आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

13. प्रार्थी के अधिवक्ता की आक्षेपित आदेश के संबंध में यह आपत्ति भी रही है कि **"अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक व मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना ही छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में रिक्त स्थान को पेन से भरकर आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2008 को पारित किये गया है। अतः उक्त आक्षेपित आदेश में रेफरेन्स को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं दिया गया है। इस लिये यह आदेश पोषणीय नहीं है।"** यहां यह उल्लेखनीय है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2008 में रेफरेंस को स्वीकार करने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। उक्त आक्षेपित आदेश छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में रिक्त स्थान को पेन से भरकर पारित किया गया है। प्रतिपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होना रेफरेन्स को स्वीकार करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता। राजस्थान कर बोर्ड के पूर्व में पारित न्यायिक दृष्टांतों 2015(1) RRT पेज 154 तथा 2015(1)RRT पेज 157 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि साईक्लोस्टाईल फोरमेट में पारित आदेश तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किये बिना एवं मस्तिष्क का उपयोग किये बिना तथा यांत्रिक रूप से पारित किया गया आदेश है, जो विधि सम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2008 में रेफरेन्स को गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है तथा उक्त आदेश साईक्लोस्टाईल फोरमेट में रिक्त स्थान को पेन से भरकर पारित किये गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2008 तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किये बिना एवं मस्तिष्क का उपयोग किये बिना तथा यांत्रिक रूप से पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थीया के अधिवक्ता के उक्त आपत्ति विधि सम्मत होने से आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह साईक्लोस्टाईल फार्मेट में Non Speaking एवं Non Reasoned आदेश पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2008 अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में विस्तृत जांच कर संबंधित पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सभी विधिक बिन्दुओं व तथ्यों पर प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

16/06/17

लगातार.........................6.

वर्तमान निगरानी में विक्रेता अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को नोटिस तामील नहीं हुए है चूंकि प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय में विक्रेतागण को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होगा। अतः वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की तामील नहीं होने से उनके हितों पर कोई प्रभाव कारित नहीं होता है।

14. परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर का आदेश दिनांक 06.05.2008 को अपास्त किया जाता है। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की अनुपालना करते हुए पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करें तथा पक्षकारों को यह आदेश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.08.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में विक्रेतागण को भी नोटिस जारी कर विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

15. निर्णय सुनाया गया।

16/06/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य